राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

स.एफ.6(179)परि / टैक्स / एचक्यू / 95 / 4सी   जयपुर, दिनांकः—31.3.2000

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951(1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 4 की उपधारा 1 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.6 (179) / परि / टैक्स / एचक्यू / 95 / 4बी. दिनांक 22.1.2000 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार इससे संलग्न सारणी के स्तंभ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के अन्य राज्यों के परिवहन यानों और अस्थायी परमिट पर चलने वालों और अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत तथा राज्य में से होकर जाने वाले मोटर यानों, मोटर यानों के चैसिस पर उसके स्तंभ संख्या 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा कर की दर विहित करती हैः—

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	कर की दर
1	2	3
1.	अन्य राज्यों के अस्थायी परमिट पर चलने वाले परिवहन यान	
	(i) यात्री यान	प्रति सीट प्रतिदिन 10 / —रु.
	(ii) माल यान	
	(क) 7000 किग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू / आर.एल.डब्ल्यू	30 दिन या उसके भाग के लि प्रति 1000 किग्रा. जी. डब्ल्यू / आर.एल.डब्ल्यू या उस भाग के लिये 110 / रु.
	(ख) 7000 कि.ग्रा. के आधिक्य में प्रत्येक 1000 कि. ग्रा. या उसके भाग के जी.वी.डब्ल्यू / आर.एल. डब्ल्यू	उपर विनिर्दिष्ट दरों पर सं रकम के अतिरिक्त, 30 दिन उसके भाग के लिये प्रत्येक 10 कि.ग्रा.जी.वी.डब्ल्यू / आर.एल.डब्ल या उसके भाग के लिये 50 / —
2.	अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत मोटर यान या मोटर यानों के चैसिस	
	(क) मोटर कार, ट्रैक्टर और ड्राइवर को छोड़कर 10 तक सीट क्षमता वाली ओमनी बस और सभी तीनपहिया वाहन	प्रति यान 200 / —रुपये
	(ख) उपर्युक्त के अन्तर्गत न आने वाले कोई भी अन्य मोटर यान	प्रति यान / चैसिस 1500 / —रु.
	(ग) मोटर यानों के चैसिस	प्रति चैसिस 1000 / —रुपय

स्पष्टीकरणः—संलग्न यान को सम्मिलित करते हुए, ट्रक, ट्रेलर या उसके किसी संयोजक या रूपान्तरण का जी.वी.डब्ल्यू/आर.एल.डब्ल्यू. के प्रयोजनार्थ ट्रक/होर्स ट्रेलर और साथ के किसी रूपान्तरण के जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू. को उस पर कर की संगणना के के लिये विचार में लिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से
शासन उप सचिव